न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–323 / 16 (आरसीएमएस नं. 2016 / 00087)

1. दुर्गालाल,
2. बोदूराम,
3. सेवाराम, पुत्रान मुरलीधर,
4. भूरी देवी पुत्री मुरलीधर,
5. बरजी देवी पत्नी मुरलीधर, समस्त जातियान यादव, निवासीयान ग्राम देवथला, तहसील चौंमू जिला जयपुर

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौंमू जिला जयपुर।
2. श्योलाराम पुत्र नारायण,
3. नानूराम पुत्र नारायण, जातियान अहीरान निवासीयान ग्राम देवथला, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
4. गिरधारी पुत्र मुरली, जाति यादव, निवासी देवथला, तहसील चौमू जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 11.09.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमू जिला जयपुर के आदेश दिनांक 15.07.2016 (प्रकरण संख्या 52 / 2005) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट्स के पिता व पति द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौंमू के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के हाल नक्शा ट्रेस में दुरूस्त करने के आदेश हेतु निवेदन किया गया था जिस अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट मुरलीधर पुत्र नानू का स्वर्गवास होने के बाद कायम मुकाम / अपीलान्ट को रिकार्ड पर लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही की गई, तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर यह कहा कि हाल खसरा नम्बर 365 सही बनाया गया है तथा धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने कथन किया है कि तहसीलदार चौमू द्वारा जांच रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई जिसमें लिखा गया कि ग्राम देवथला का हाल खसरा नम्बर 365 रकबा 0.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 146 का भाग न होकर खसरा नम्बर 148 का भाग है तथा हाल खसरा नम्बर 365 रकबा 0.25 हैक्टयर को प्रतिवादीगण की खातेदारी से हटाकर गत खसरा नम्बर 148 के खातेदारों की खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित है जिससे

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

हाल नक्शा गत नक्शे के अनुसार सही हो सके। उन्होने आगे कथन किया है कि तहसीलदार चौमू द्वारा मंगवायी गई रिपोर्ट पर अप्रार्थी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसका निर्णय होना शेष है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दिनांक 17.03.16 को पत्रावली वास्ते तहसीलदार की रिपोर्ट हेतु नियत थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रिपोर्ट प्राप्त हुये ही दिनांक 15.07.16 को कैम्प कोर्ट में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया जो आदेश दिनांक 15.07.16 विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के विपरित है क्योंकि तहसीलदार चौमू द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में यह स्पष्ट वर्णन किया गया है कि हाल खसरा नम्बर 365 रकबा 0.25 गत खसरा नम्बर 148 का ही भाग है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में अहम कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.07.16 को अपास्त किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट्स द्वारा अपील में मनगढंत तथ्य अंकित किये गये है जबकि अपीलान्ट के उक्त खसरों नम्बरों की नक्शें में कोई सीमाऐं कम नही हुई है बल्कि बढ़ायी हुई है, खसरा नम्बर 365 की खातेदारी रेस्पोडेन्ट के नाम सही है जिसके पूर्व खसरा नम्बर 146 थे जिस खसरा नम्बर 365 गत खसरा नम्बर 146 पर रेस्पोडेन्ट एवं उनके पूर्वजीवियों का ही कब्जा था व अब रेस्पोडेन्ट का ही है। उन्होने आगे कथन किया है कि नक्शा हाल खसरा नम्बर 365 के बारे में मौके व रकबे अनुसार सही है, पूर्व नक्शे कोनसे सम्वत् की अपीलान्ट्स बात कर रहे है, स्पष्ट नही है कौनसी सीमा में कितनी कांट छांट की गई है यह भी स्पष्ट नही है, न कोई कांट–छांट की गई है, खसरा नम्बर 365 गत खसरा नम्बर 146 से सही बनाया हुआ है, उक्त खसरा नम्बर रेस्पोडेन्ट के खाते से अपीलान्ट कानूनन नही हटावा सकते है एवं नई खातेदारी नही ले सकते है। उक्त प्रकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट तहसील दिनांक 01.05.2006 एक तरफा बिना रेस्पोडेन्ट की सुनवाई के गलत व बिना समुचित जांच व प्रक्रिया के व पटवारी द्वारा अनाधिकार ही होने से तथा सही नक्शें पर आधारित नही होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नही थी। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का पूर्ण रूप से परीक्षण करने के उपरान्त व अपीलान्ट्स को सुनवाई के पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2016 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पात्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि प्रकरण

संभागीय आयुक्त जयपुर

में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार चौमू से रिपोर्ट चाहे जाने पर उन्होने पत्रांक 1544 दिनांक 01.09.2006 के संलग्न जांच रिपोर्ट भिजवाई गई है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2016 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमू जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सनुवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।